State Vigilance Bureau **Ambala Range Ambala**

प्रथम सूचना रिपोर्ट

जिलाः– अम्बाला **थानाः–** रा0 चौ0 ब्यूरो अम्बाला **वर्षः–** 2013 **प्र0 सु0 रि0 सं0** 3
दिनांक 14.05.2013 **धारा** 7 पी सी एक्ट 1988 **थाना** एस.वी.बी. अम्बाला।

अपराध की घटनाः– दिन मंगलवार **दिनांक 14**.05.2013

थाना में सूचना प्राप्त होने की तारीखः– 14.05.2013 **समय** 12:30 पी.एम.

रोजनामचा रिपोर्ट कम संख्या **07** **समय** **12**:30 पी.एम

घटना स्थलः थाना से दिषा व दूरी – उतर दक्षिण में 85 कि.मी. ।

बीट / देह : कैथल।

शिकायत कर्ता – श्री राम निवास, पुत्र श्री गिरधाला गांव किठाना, जिला कैथल

विरूद्ध :– श्री महेन्द्र सिंह, स्टोर कीपर, बिजली घर तितरम ।

प्रथम सूचना रिपोर्ट का विवरणः–

नकल तहरीर जैल है सेवा में, इन्सपैक्टर साहिब विजिलैंस कुरुक्षेत्र, विषय ट्रांसफार्मर देने के बदले रिश्वत मांगने बारे। श्रीमान जी, मैं राम निवास पुत्र श्री गिरधाला जाति जाट गांव किठाना जिला कैथल का रहने वाला हूं। गांव किठाना में मेरे पास मेरे पिता के नाम से सात एकड़ जमीन है जिसमें बिजली का कनैक्शन का टयूबवैल है। करीब एक महीना पहले ट्रांसफार्मर सड़ गया था। यह ट्रांसफार्मर कनैक्शन मेरे पिता के नाम से है जो बुजुर्ग है। ट्रांसफार्मर सड़ने के बाद मैनें बिजली घर राजौंद में जाकर इसकी सूचना दी तो महीपाल फोरमैन ने फाईल तैयार करवाकर मुझे पांच –छः दिन पहले उस फाईल पर नम्बर लगवाने के लिए XEN दफतर पुण्डरी भेज दिया था नम्बर लगवाकर मैनें वापस राजौंद आकर बिजली दफतर से 2500 रू0 फीस जमा करवाकर S.R. कटवाकर महिन्द्र सिंह स्टोर कीपर बिजली घर तितरम को दे दी है जिसने S.R. लेने के बाद मुझे कहा कि ट्रांसफार्मर ऐसे नहीं मिलेगा कम से कम दो हजार रूप्ये देने ही पड़ेगें। मैनें महिन्द्र सिंह स्टोर कीपर से काफी विनती की लेकिन वह नहीं माना। मेरे बार–2 मिनतें करने के बाद एक हजार रू0 रिश्वत लेकर ट्रांसफार्मर देने को राजी हुआ। आज महिन्द्र सिंह स्टोर कीपर ने एक हजार रू0 लेकर ट्रांसफार्मर देने के लिए मुझे बुलाया है । मै ंउसे एक हजार रू0 रिश्वत देना नहीं

चाहता एक हजार रू0 साथ लेकर आया हूं। महिन्द्र सिंह स्टोर कीपर के खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जावें। Sd. राम निवास प्रार्थी राम निवास पुत्र श्री गिरदाला गांव किठाना (कैथल) मो0 – 9466550365 कार्यवाही पुलिस आज मन निरीक्षक मय ए एस आई सतबीर सिंह, ए एस आई दयानन्द, एच.सी. जगदीश चंद, ई.एच.सी. दलबीर सिंह नं0 303/कैथल, सि0 जसमेर सिंह नं0 826/जींद, वा सवारी गाड़ी सरकारी नं0 HR-37-C-6363 चालक होशियार सिंह नं0 825/यमुनानगर के बराये कार सरकार जरूरी अदालत परीसर कैथल मौजुद हूं कि श्री राम निवास, पुत्र गिरदाला राम कौम जाट वासी किठाना जिला कैथल ने हाजिर आकर एक दरखास्त बाबत मांगने रिश्वत मुबलिक 1000 रू0 बर खिलाफ महेन्द्र सिंह, स्टोर कीपर बिजली घर तितरम मेरे पेश की व दरखास्त के साथ दो नोट नम्बरी 500/500 रू0 वाले नम्बर (1) 3HK720388 (2) 2HK 233899 भी मेरे पेश किये जिनको अलग से सुचि नोट तैयार करके फर्द सुचि नोट द्वारा कब्जा पुलिस में लिया मजबून दरखास्त से अपराधा 7 पी.सी.एक्ट 1988 का होना पाया जाता है। इसलिए तहरीर लिखकर मुकदमा दर्ज करवाने के लिए सि0 जसमेर सिंह नं0 826/जींद को थाना राज्य चौकसी ब्यूरो, अम्बाला भेजा जा रहा है। मुकदमा दर्ज करके नम्बर मुकदमा से सुचित किया जावें व मुकदमा हजा की स्पैशल रिपोर्ट अफसरान बाला व इलाका मैजिस्ट्रेट साहब कैथल को भिजवाई जावें मन निरीक्षक मय मुलाजमान के बराये तफतीश कार्यालय उपायुक्त कैथल व मौका का होता हूं तफतीश्झी बैग साथ है आज आदालत परिसर कैथल हस्ताक्षर अग्रेजी Rajpal निरीक्षक, रा0 चौ0 ब्यूरो, उपकेन्द्र कुरुक्षेत्र हाल कैथल दिनांक 14.05.2013 समय 10:20 A.M. अज थाना हस्ब आमदा तहरीर पर मुकदमा नं. 3 दिनांक 14.05.2013 धारा 7 पी सी एक्ट 1988 थाना राज्य चौकसी ब्यूरो, अम्बाला दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रथम सूचना रिपोर्ट की एक प्रति बतौर स्पैशल रिपोर्ट इलाका मैजिस्ट्रेट साहब कैथल व मिशल मुकदमा मय असल तहरीर बदस्त आरिन्दा सिपाही जसमेर सिंह नं. 826/जींद के सेवा में अनुसंधान अधिकारी भेजी जा रही है। अन्य F.I.R की प्रतियां उच्च अधिकारियों की सेवा में अलग से भेजी जा रही है।

हस्ताक्षर कार्यभारी अधिकारी, थाना

नाम शमशेर सिंह
पद, निरीक्षक

नम्बर, 278/RR